2023/266

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128	189/23	13/12/23	डिक्री 27/3/24	10/1/24

अनवान

श्री हरिशंकर s/o भगवान लाल धाकड़ श्री मनोज s/o छीतीलाल रेगर

निवासी छोटा चड़ौदा तह. बिजौलिया निवासी चड़ौदा तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री रामफूल धाकड़ श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

हरिशंकर s/o भगवानलाल बनाम मनोज s/o हीरालाल रैगर नम्बर 189/2023

किस्म मुकदमा 111– 128

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/12/2023	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 10/1/2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
10/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/2/24 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
21/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 26/3/24 को पेश हो [signature]	
26/3/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27/3/24 को वास्ते AOH पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	

27/3/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिज्रौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 13/12/23

प्रकरण संख्या :— 189/23

हरिशंकर पुत्र भगवानलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी छोटा थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........प्रार्थी

बनाम

01. मनोज पुत्र घीसीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. कैलाश पुत्र नन्दलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. दिनेश पुत्र नारायण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 — 128 रा0ले0रे0एक्ट

दिनांकः 27/3/24

—: आदेश :—

प्रार्थना पत्र **हरिशंकर पुत्र भगवानलाल जाति धाकड निवासी छोटा थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 22 पर अंकित आराजी संख्या 46/9 रकबा 0.4856 हैक्टेयर** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू—अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 22 पर अंकित आराजी संख्या 46/9 रकबा 0.4856 हैक्टेयर** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

दा. तारीख 13/12/23

प्रकरण संख्या – 189/23

फैसला तारीख - 27/3/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....189........../ 2023 पत्थरगढ़ी बाबत्।

हरिशंकर पुत्र भगवानलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी छोटा थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ....प्रार्थी

बनाम

01. मनोज पुत्र घीसीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. कैलाश पुत्र नन्दलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. दिनेश पुत्र नारायण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **ग्राम थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 22 पर अंकित आराजी संख्या 46/9 रकबा 0.4856 हैक्टेयर** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)